क्रमांक–59

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग–दो

गुरूवार, दिनांक 23 जुलाई, 2026 (श्रावण 1, 1948)

मानानीय श्री भूपेश बघेल, सदस्य की रिहाई की सूचना

पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली की ओर से यह सूचना दी गई है कि–

''छत्तीसगढ़ विधान सभा के माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल को नई दिल्ली, जिला–नई दिल्ली क्षेत्र में कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाये रखने के लिये दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के तहत् हिरासत में लिया गया था।

दिनांक 21.07.2026 को सायं 18:15 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय सदस्य, श्री भूपेश बघेल को गेट नंबर–1, माननीय प्रधानमंत्री आवास, जिमखाना डाकघर के पास, नई दिल्ली से हिरासत में लिया गया और छत्रसाल स्टेडियम, मॉडल टाउन, नई दिल्ली ले जाया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय सदस्य, श्री भूपेश बघेल को उसी दिन रात 21:00 बजे, समस्त कानूनी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् रिहा कर दिया गया।''

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा